

प्रोत्साहन सिंह, भारतीय
वित्तीय विभाग राजिका।

प्रोत्साहन सिंह/प्रभाग अधिकारी/राजिका,
भारतीय विभाग, राजिका।

निचेराख विभाग Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township परिषदीय विभाग के प्रबल्लिपि राजिका की राजा है।

प्राकाश,

उपर्युक्त विभाग के राजा ने निम्न नियम का दिया है कि Building/Construction Projects/Area Development Projects and Townships/परिषदीय विभाग के प्रबल्लिपि राजिका द्वारा प्रदायन, वा एवं उत्तम परिवर्तन विभाग, भारत राजिका प्रा. EIA Notification, 2006 में प्राकाश विभाग द्वारा दिया गए हैं तथा EIA, 2006 की संस्थान अधिकारीय रूपमें ०९.१२.२०१६ द्वारा किया गया है, जिसमें प्राकाश विभाग

है—

Project or Activity	Category with threshold limit		Conditions if any
	A	B	
I	J	K	L
८ Building/Construction projects/Area Development projects and Townships			
८(a) Building and Construction projects	≥ 20,000 sq. mtrs and < 1,50,000 sq. mtrs of built up area		<p>The term "built up area" for the purpose of this notification is the built up or covered area on all floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings and construction projects.</p> <p>Note 1. The projects or activities shall not include industrial shed, universities, college, hostel for educational institutions, sustainable environmental management, solid and liquid and implement environmental conditions given at Appendix-XIV.</p> <p>Note 2. General Conditions shall not apply.</p> <p>Note 3. The exemptions granted at Note-1 will be available only for industrial shed after integration of environmental norms with building permissions at the level of local authority.</p>

8(b)	Townships and Area Development projects	$\geq 3,00,000 \text{ sq. mtrs of built-up area or Covering an area of area} \geq 150 \text{ ha}$	$\geq 1,50,000 \text{ sq. mtrs and} < 3,00,000 \text{ sq. mtrs built up area or Covering an area of} > 50 \text{ ha and} < 150 \text{ ha}$	Note :- General Condition shall not apply.
------	--	---	--	--

2. नगर नियम की परियोजनाओं ने प्रभावशील स्थिति के इकाई की अवधारणा के लिए यह वास्तविक NCC लोडफॉलो/नई नियमों ने जो यह दर्शाते हैं। इस तरह में वास्तविक NCC लोडफॉलो वाला O.A. No-45/2019/BZ ने नगर नियम परियोजनाओं पर यह समाचार के लिए आदेश पारित किया गया है।

इसमें मध्यम नियम से संबंधित राजनीति/पर राजनीति परियोजनाएँ वही भूल रही हैं जिनमें प्रस्तुत की गई थीं, जो राष्ट्रीय परियोजनाओं पर BIA Notification, 2006 वाले कुसकी संशोधित अधिसूचना के प्रावधानों के अनुकूल नारंगी आवश्यक हैं।

3. नगर नियमांश एवं व्यावसाय विभाग, भवन नियम विभाग एवं आरखण्ड खात्मा भवन नियम विभाग द्वारा गृह, कारा-एवं-आपदा प्रकल्पन विभाग एवं पुरिया कार्यशाला पारियोजनाएँ द्वारा द्वारा दिए गए विशेष नियम हैं। सम्बन्धित विभाग अधिकारी SoP/Check list द्वारा करे, आवश्यक कार्य/विभाग में परियोजना की आवश्यकता है तो तद्दुरुराग कार्रवाई की जाय। कार्यव्यवाहार घोषणी/DPR बनाने पाले आवश्यकता/सम्बन्धित पदाधिकारियों का दायित्व नियरिंग करना आवश्यक है।

4. भव्य विभाग घोजनाओं वाली प्रशासनिक स्थिति के ग्राम में सम्बन्धित नियमों के अनुसालन हेतु आवश्यक पहल करना सुनिश्चित करें।

5. आरखण्ड राज्य प्रमुखण नियंत्रण पर्षद द्वारा आवश्यक जागरूकता Webinar कार्डिका-३ में अधिकत विभाग/विभागों के अधीन योर्ड/नियम हेतु कार्यशाला आयोजित करें। कार्यशाला में पदाधिकारियों के साथ आर्किटेक्ट/संविदाल/मोपिटरिंग एजेंट्सी दृस्यादि जो भी शामिल किया जाय। प्रथम चरण में राष्ट्रीय नियम द्वारा में अलग-अलग यह कार्य अगले 2 माह (30.11.2020) तक पूर्ण करायें।

6. उक्त के ग्राम में अनुरोध है कि पर्यावरण वर्ष एवं जलवायु परियोजना मंत्रालय, भारत राजकार द्वारा अधिसूचित संशोधित अधिसूचना संख्या-3990 विभाग-09.12.2016 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि राज्य में Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्थिति हेतु प्रायोगिक पर्यावरण विभागों के आलोक में कार्रवाई करने की वृक्ष की जाय ताकि नविक्षण में ऐसी तुटियों की पुनरावृत्ति न हो।

अनु-गण्डकी।

विश्वासभाजन

A/25/04/2020
(अग्रेन्द्र प्रताप सिंह)
राजकार के प्रधान नियमित

8(b)	Townships and Area Development projects	$\geq 3,00,000 \text{ sq. mtrs of built-up area or Covering an area of area} \geq 150 \text{ ha}$	$\geq 1,50,000 \text{ sq. mtrs and} < 3,00,000 \text{ sq. mtrs built up area or Covering an area of} > 50 \text{ ha and} < 150 \text{ ha}$	Note :- General Condition shall not apply.
------	--	---	--	--

2. नगर नियम की परियोजनाओं ने प्रभावशील स्थिति के इकाई की अवधारणा के लिए यह वास्तविक NCC लोडफॉलो/नई नियमों ने जो यह दर्शाते हैं। इस तरह में वास्तविक NCC लोडफॉलो वाला O.A. No-45/2019/BZ ने नगर नियम परियोजनाओं पर यह समाचार के लिए आदेश पारित किया गया है।

इसमें मध्यम नियम से संबंधित राजनीति/पर राजनीति परियोजनाएँ वही भूल रही हैं जिनमें प्रस्तुत की गई थीं, जो राष्ट्रीय परियोजनाओं पर BIA Notification, 2006 वाले कुसकी संशोधित अधिसूचना के प्रावधानों के अनुकूल नारंगी आवश्यक हैं।

3. नगर नियमांश एवं व्यावसाय विभाग, भवन नियम विभाग एवं आरखण्ड खात्मा भवन नियम विभाग द्वारा गृह, कारा-एवं-आपदा प्रकल्पन विभाग एवं पुरिया कार्यशाला पारियोजनाएँ द्वारा द्वारा दिए गए विशेष नियम हैं। सम्बन्धित विभाग अधिकारी SoP/Check list द्वारा करे, आवश्यक कार्य/विभाग में परियोजना की आवश्यकता है तो तद्दुरुराग कार्रवाई की जाय। कार्यव्यवाहार घोषणी/DPR बनाने पाले आवश्यकता/सम्बन्धित पदाधिकारियों का दायित्व नियरिंग करना आवश्यक है।

4. भव्य विभाग घोजनाओं वाली प्रशासनिक स्थिति के ग्राम में सम्बन्धित नियमों के अनुसालन हेतु आवश्यक पहल करना सुनिश्चित करें।

5. आरखण्ड राज्य प्रमुखण नियंत्रण पर्षद द्वारा आवश्यक जागरूकता Webinar कार्डिका-३ में अधिकत विभाग/विभागों के अधीन योर्ड/नियम हेतु कार्यशाला आयोजित करें। कार्यशाला में पदाधिकारियों के साथ आर्किटेक्ट/संविदाल/मोपिटरिंग एजेंट्सी दृस्यादि जो भी शामिल किया जाय। प्रथम चरण में राष्ट्रीय नियम द्वारा में अलग-अलग यह कार्य अगले 2 माह (30.11.2020) तक पूर्ण करायें।

6. उक्त के ग्राम में अनुरोध है कि पर्यावरण वर्ष एवं जलवायु परियोजना मंत्रालय, भारत राजकार द्वारा अधिसूचित संशोधित अधिसूचना संख्या-3990 विभाग-09.12.2016 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि राज्य में Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्थिति हेतु प्रायोगिक पर्यावरण विभागों के आलोक में कार्रवाई करने की वृक्ष की जाय ताकि नविक्षण में ऐसी तुटियों की पुनरावृत्ति न हो।

अनु-गण्डकी।

विश्वासभाजन

A/25/04/2020
(अग्रेन्द्र प्रताप सिंह)
राजकार के प्रधान नियमित

R(b)	Townships and Areas Development projects	$\geq 3,00,000 \text{ sq. mtrs of built up area or Covering an area} \geq 150 \text{ ha}$	$\geq 1,50,000 \text{ sq. mtrs and} < 3,00,000 \text{ sq. mtrs built up area or Covering an area} \geq 50 \text{ ha and} < 150 \text{ ha}$	Note: - General Condition shall not apply.
------	--	---	--	--

2. भवन निर्माण की परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्थीरता के नियमों की अपहेलना के बिषय वस्तु पर माननीय NGT कोलकाता/नई इलटी में कई बाद दायर है। इस क्रम में माननीय NGT कोलकाता द्वारा O.A. No-45/2019/EZ में भवन निर्माण परियोजनाओं पर राज्य सरकार के विरुद्ध आदेश परित किया गया है।

राज्य में भवन निर्माण से संबंधित सरकारी/गैर सरकारी परियोजनाएं धृषि घल गही है अत्यन्त प्रस्तावित है, उन सभी परियोजनाओं पर EIA Notification, 2006 तथा इसकी संशोधित अधिसूचना के प्राक्कानों के अनुसार कार्रवाई आवश्यक है।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं आरखण्ड राज्य भवन निर्माण नियम लिंग तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रक्षेपन विभाग एवं पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिंग इत्यादि पर विशेष विधिवाल है। सम्बन्धित विभाग अधिकारी SoP/Check list तैयार करे, आवश्यक काम्यून/नियम में परिवर्तन की आवश्यकता है तो तदनुसार कार्रवाई की जाय। कार्यान्वयन एजेन्सी/DPR बनाने वाले कानूनलटन्ट/सम्बन्धित पदधिकारियों का दायित्व निर्धारण करना आवश्यक है।

4. अन्य विभाग योजनाओं की प्रशासनिक स्थीरता के क्रम में सम्बन्धित नियमों के अनुपालन हेतु आवश्यक पहल करना सुनिश्चित करेंगे।

5. आरखण्ड राज्य प्रधूम नियंत्रण पर्यवेक्षक तथा SEIAA द्वारा आवश्यक जाग्रत्काता Webinar कोडिंग-3 में अकिञ्चित विभाग/विभागों के अधीन खोड़/नियम हेतु कार्रवाला आयोजित करें। कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ आर्किटेक्ट/संप्रेदक/मॉनिटरिंग एजेन्सी इत्यादि को भी शामिल किया जाय। प्रधम वर्ष में सभी नगर नियम हेत्र में अलग-अलग यह कार्रवागते 2 माह (30.11.2020) तक पूर्ण करावें।

6. उक्त के क्रम में अनुरोध है कि पर्यावरण, पर्जन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित अधिसूचना राज्य-3009 दिनांक-09.12.2018 की प्रति सहमत करते हुए अनुरोध है कि राज्य में Building/Construction Projects/Area Development Projects and Townships परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्थीरता हेतु प्राक्कानित परिवर्तन नियमों के अनुकूल में अनुसृष्ट अपने की शृंखला की जाय ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो।

अनु०-योगीका।

विभाग सचिव

4/16/19/20
[अधिकारी प्रताप सिंह]
राज्यवाल के प्रधान सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th December, 2016

S.O. 3999(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O.1535 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 and clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required consideration of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and/or located (a) shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 5 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the said Ministry has received suggestions for ensuring Ease of Doing Responsible Business; and streamlining the permissions for buildings and construction sector which is important for providing houses and for this purpose the scheme of Housing for all by 2022 with an objective of making available affordable housing to weaker sections in urban areas has ambitious target;

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restriction of any industry in any area or any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention in do so;

And whereas, a draft notification for making amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (issued in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986) was published, vide number S.O.1565 (E) dated the 20th April 2016, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication of said notification in the Gazette of India;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 namely:

to the said Notification.

- (1) After paragraph 13, the following paragraph shall be inserted, namely—
- “14. Integration of environmental condition in building bye-laws.—
- (1) The integrated environmental conditions with the building permission being granted by the local authorities and the construction of buildings as per the size shall adhere to the objectives and monitorable environmental conditions as given at Appendix-XIV.
- (2) The States adopting the objectives and monitorable environmental conditions referred to in subparagraph (1), in the building bye-laws and relevant State laws and incorporating these conditions in the approvals given for building construction making it legally enforceable shall not require a separate environmental clearance from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for individual buildings.
- (3) The States may forward the proposed changes in their bye-laws and rules to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, who in turn will examine the said draft bye-laws and rules and convey the comments to the State Governments.
- (4) When the State Governments notifies the bye-laws and rules concerned by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Central Government may issue an order stating that no separate environmental clearance is required for buildings to be constructed in the States or local authority areas.

8(b)	Townships and Area Development projects	≥ 3,00,000 sq. mtrs of built up area or Covering an area ≥ 150 ha	≥ 1,50,000 sq. mtrs and < 3,00,000 sq. mtrs built up area or Covering an area ≥ 50 ha and < 150 ha	Note :- General Condition shall not apply.
-------------	--	--	---	---

2. नगर नियंत्रण की परियोजनाओं ने प्रभावशुद्धि लैंडफुट के इकाई का नियम तथा नामीन् NGT अधिनियम/नई नियमी ने उसे लाए रखा है। इस तरह न नामीन् NGT अधिनियम द्वारा O.A. No-45/2019/BZ में नगर नियंत्रण परियोजनाओं पर यह समाचार के लिए आदेश पारित किया गया है।

इसमें नगर नियंत्रण से संबंधित राजनीति/पर राजनीति परियोजनाएँ वही भल रही है जिनमें प्रस्तावित हैं, जो राजी परियोजनाओं पर DIA Notification, 2006 द्वारा दुर्बली संशोधित अधिसूचना के प्रावधानों के अनुकूल नारेवारी आवश्यक है।

3. नगर नियंत्रण एवं व्यापार विभाग, नगर नियंत्रण विभाग एवं आरखण्ड द्वारा नगर नियंत्रण लियाग एवं पुलिया काउंसिल पारियोजनाएँ द्वारा द्वारा दिए गए नियम नामित हैं। सम्बन्धित विभाग अधिकारी SoP/Check list द्वारा करे, आवश्यक कार्य/विषय में परियोजना की आवश्यकता है तो तद्दुरुराग कार्रवाई की जाए। कार्यव्यवाहार घोषणी/DPR बनाने पाले आवश्यकता/सम्बन्धित पदाधिकारियों का दायित्व नियरिण करना आवश्यक है।

4. नगर नियंत्रण योजनाओं की प्रशासनिक लैंडफुट के रूप में सम्बन्धित नियमों के अनुसालन हेतु आवश्यक पहल करना सुनिश्चित करें।

5. आरखण्ड राज्य प्रमुखण नियंत्रण पर्षद द्वारा आवश्यक जागरूकता Webinar कार्डिना-3 में अनियंत्रित कियाग/विभागों के अधीन योर्ड/नियम हेतु कार्यशाला आयोजित करें। कार्यशाला में पदाधिकारियों के साथ आर्किटेक्ट/संविदाल/गोपिटरिंग एजेंट्सी दृत्यादि को भी शामिल किया जाए। प्रथम चरण में राजी नगर नियंत्रण द्वारा में अलग-अलग यह कार्य अगले 2 माह (30.11.2020) तक पूर्ण करावें।

6. उक्त के रूप में अनुरोध है कि पर्यावरण, यम एवं जलवायु परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित अधिसूचना संख्या-3990 दिनांक-09.12.2016 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि राज्य में Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्लोक्युले हेतु प्रायोगिक पर्यावरण नियमों के आलोक में कार्रवाई करने की वृक्ष की जाए ताकि नविक्ष में ऐसी तुटियों की पुनरावृत्ति न हो।

अनु-गणका।

विश्वासभाजन

A/25/04/2020
(अग्रेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

प्रा. प्रदेशीय वित्तीय परिषदीय नियम
का अनु-संशोधन-अधीन-३१/२०१८- २३६२- नोव. २०१८, गोपी, भारत २५-१२-२०१८

प्रोटोकॉल नियम लिए, भारतीय
राज्यों के लिए संभित।

प्रोटोकॉल नियम संभित/प्राप्ति संभित/संभित,
गोपी, गोपी।

नियम द्वारा Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township परिषोषित की प्रक्रियाएँ संभित की रखते हैं।

प्राप्ति,

उपर्युक्त नियम के लकड़ी में सुनित ज्ञान है कि Building/Construction Projects/Area Development Projects and Townships/परिषोषितों के पर्यावरणीय संभिति के लिए पर्यावरण, वह एक अवश्यक परिषोषित प्राप्ति भारत सरकार द्वारा EIA Notification, 2006 में प्राप्ति लिए गए हैं तथा EIA, 2006 की संस्थानीय अधिकारीय संस्था-2009 द्वारा दिए गये हैं, जिसमें प्राप्ति नियमानुसार है।

Project or Activity	Category with threshold limit		Conditions if any
	A	B	
I	J	K	L
"8 Building/Construction projects/Area Development projects and Townships			
8(a) Building and Construction projects	$\geq 20,000 \text{ sq. mtrs}$ and $< 1,50,000 \text{ sq. mtrs}$ of built up area		<p>The term "built up area" for the purpose of this notification is the built up or covered area on all floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings and construction projects.</p> <p>Note 1. The projects or activities shall not include industrial shed, universities, college, hostel for educational institutions, sustainable environmental management, solid and liquid and implement environmental conditions given at Appendix-XIV.</p> <p>Note 2. General Conditions shall not apply.</p> <p>Note 3. The exemptions granted at Note-1 will be available only for industrial shed after integration of environmental norms with building permissions at the level of local authority.</p>

अमरेन्द्र प्रताप सिंह, गवर्नर,
भारतीय नियंत्रण संचित।

राजी अपर मुख्य संचित/प्रधान संचित/संचित,
आरक्षण, राजी।

विषय :- भारतीय राज्य Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्थीरता के संदर्भ में।

महाराष्ट्र,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में संचित करना है कि Building/Construction Projects/Area Development Projects and Townships/परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्थीरता हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन भंगाजय, भारत सरकार द्वारा EIA Notification, 2006 में प्राक्कान किए गए हैं तथा EIA, 2006 का संशोधन अधिसूचना संख्या-3999, दिनांक-09.12.2016 द्वारा किया गया है, जिसमें प्राक्कान निम्नलिखित

8 :-

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any	
		A	B		
1	2	3	4	5	
"8		Building/Construction projects/Area Development projects and Townships			
8(a)	Building and Construction projects		≥ 20,000 sq. mtrs and < 1,50,000 sq. mtrs of built up area	The term "built up area" for the purpose of this notification is the built up or covered area on all floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings and construction projects. Note 1. The projects or activities shall not include industrial shed, universities, college, hostel for educational institutions, sustainable environmental management, solid and liquid and implement environmental conditions given at Appendix-XIV. Note 2. General Conditions shall not apply. Note 3. The exemptions granted at Note-1 will be available only for industrial shed after integration of environmental norms with building permissions at the level of local authority.	

प्रोत्साहन सिंह, भारतीय
वित्तीय विभाग राजिका।

प्रोत्साहन सिंह/प्रभाग अधिकारी/राजिका,
भारतीय विभाग, राजिका।

निचेराख विभाग Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township परिषोषणात्मक का प्रकाशित रूपानुसार दर्शावति की रखता है।

प्राप्तिका

उपनिकाल विभाग के राजिका में दर्शावति क्रमा है कि Building/Construction Projects/Area Development Projects and Townships/परिषोषणात्मक के परिवर्तीय रूपानुसार ऐसे प्रकाशित गतावधार, भारत सरकार द्वारा EIA Notification, 2006 में प्राप्तिका निम्न तरह है तथा EIA, 2006 की संस्थानीय अधिकारीय संस्था-अधिकारी-प्रियका-०९.१२.२०१६ द्वारा किया गया है, जिसमें प्राप्तिका निम्नान्त है—

Project or Activity	Category with threshold limit		Conditions if any
	A	B	
I	J	K	L
"8 Building/Construction projects/Area Development projects and Townships			
8(a) Building and Construction projects	≥ 20,000 sq. mtrs and < 1,50,000 sq. mtrs of built up area		<p>The term "built up area" for the purpose of this notification is the built up or covered area on all floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings and construction projects.</p> <p>Note 1. The projects or activities shall not include industrial shed, universities, college, hostel for educational institutions, sustainable environmental management, solid and liquid and implement environmental conditions given at Appendix-XIV.</p> <p>Note 2. General Conditions shall not apply.</p> <p>Note 3. The exemptions granted at Note-1 will be available only for industrial shed after integration of environmental norms with building permissions at the level of local authority.</p>

अमरेन्द्र प्रताप सिंह, गवर्नर,
भारतीय नियन्त्रण संचित।

राजी अपर मुख्य संचित/प्रधान संचित/संचित,
आरक्षण, राजी।

विषय :- भारतीय राज्य Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्थीरता के संदर्भ में।

महाराष्ट्र,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में संचित करना है कि Building/Construction Projects/Area Development Projects and Townships/परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्थीरता हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन भंगाजय, भारत सरकार द्वारा EIA Notification, 2006 में प्राक्कान किए गए हैं तथा EIA, 2006 का संशोधन अधिसूचना संख्या-3999, दिनांक-09.12.2016 द्वारा किया गया है, जिसमें प्राक्कान निम्नलिखित

8 :-

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
1	2	3	4	5
"8		Building/Construction projects/Area Development projects and Townships		
8(a)	Building and Construction projects	≥ 20,000 sq. mtrs and < 1,50,000 sq. mtrs of built up area		<p>The term "built up area" for the purpose of this notification is the built up or covered area on all floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings and construction projects.</p> <p>Note 1. The projects or activities shall not include industrial shed, universities, college, hostel for educational institutions, sustainable environmental management, solid and liquid and implement environmental conditions given at Appendix-XIV.</p> <p>Note 2. General Conditions shall not apply.</p> <p>Note 3. The exemptions granted at Note-1 will be available only for industrial shed after integration of environmental norms with building permissions at the level of local authority.</p>